

राजस्थान सरकार
कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

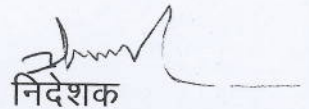
क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7333-34

दिनांक: 26-11-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के श्री मघाराम नाई, कनिष्ठ लेखाकार को सर्व शिक्षा अभियान, सरदारशहर (चूरु) से प्रशासनिक कारणों के कारण कार्यमुक्त किया गया तथा दिनांक 3.9.2012 से 13.9.12 तक आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय उपकोषालय, सरदारशहर (चूरु) में रखा गया। श्री नाई को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर आर०यू०आई०डी०पी० सरदारशहर (चूरु) में आदेश संख्या 183/ 2012-13 दिनांक 13.9.2012 के द्वारा पदस्थापित कर दिया गया।

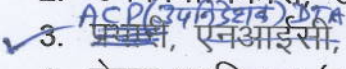
आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 3.9.2012 से 13.9.12 को राजस्थान सेवा नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की गई। अतः श्री मघाराम नाई, क०लेखाकार की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का भुगतान निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा दी जाती है।


निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7 333-34

दिनांक: 26-11-12

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. संयुक्त निदेशक(प्रशासन) कोष एवं लेखा, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. उपकोषाधिकारी, उपकोष, सरदारशहर (चूरु)
3.  वित्त भवन, जयपुर को आदेश अपलोड करने हेतु
4. डेस्क आफिसर (कार्मिक-प्रथम/ द्वितीय) कार्यालय हाजा
5. श्री मघा राम नाई, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आर.यू.आई.डी.पी, सरदारशहर (चूरु) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)